

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर थानागाजी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस).

उनवान

1. हरसहाय पुत्र सूरजा
2. प्रभू पुत्र सूरजा
3. निवासा पुत्र सूरजा कौम गुर्जर निवासी ढाणी धाबाई तन नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।  
-वादीगण।

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मान्या
2. रामकरण पुत्र मान्या
3. रामकिशोर पुत्र मान्या
4. श्रीराम पुत्र मान्या
5. रामशरण पुत्र मान्या
6. मु० घीसी पत्नी मान्या समस्त कौम गुर्जर निवासीयान ढाणी धाबाई तन नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

- प्रतिवादीगण।

दावा बाबत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 1/193 रजू 15.09.2017

निर्णय दिनांक :- 27.07.2018


वादी की ओर से श्री ख्याली राम गुर्जर एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से कोई उप० नहीं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.07.2018 को मुझ कैलाशचन्द शर्मा द्वितीय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता

उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी (अलवर)

नाम पक्षकारान	विवादित आराजी वाकैँ ग्राम नारायणपुर
रामजीलाल, रामकरण, रामकिशोर, श्रीराम रामशरण पि० मान्या 11/12 घीसी स्त्री स्व० मान्या हि० 1/12 राहिन सी.बी.आई शाखा नारायणपुर मु.बि.क. कौम गुर्जर सा. देह ढाणी धाबाई खातेदार	आ.ख.नं. 1019 रकबा 0.39 किस्म चाही प्रथम, 1029/1 रकबा 0.35 चाही द्वितीय किता 2 रकबा 0.74 है०, वाकैँ किशोरी
हरसहाय, निवासा पि० सूरजा हि० 2/3 राहिन आर.जी. बी. शाखा थानागाजी मु.बि.क. प्रभू पुत्र सुरजा हि० 1/3 कौम गुर्जर सा. देह. ढाणी धाबाई खातेदार	आ.ख.नं. 1022 रकबा 0.38 किस्म चा. द्वितीय, 1028 रकबा 0.23 किस्म बा. द्वितीय, 1029/2 रकबा 0.13 चा. द्वितीय किता 3 रकबा 0.74 है०।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 अपरखण्ड अधिकारी एवं  
 पेदेन सहायक कलक्टर थानागाजी  
 थानागाजी (अलवर)